घरेलू हिंसा के वरूद्ध कानून देता है ये अ धकार

डा0 पूनम सिंह

समाज के हर वर्ग की स्त्री घरेलू हिंसा की शकार है। 'घरेलू हिंसा' नारी समुदाय में भारतीय एकता का प्रतीक है। इक्कीसवीं सदी के प्रगतिशील समाज में इस प्रकार की सामाजिक बुराई की व्यापकता समाजशास्त्रीय ववेचना के लये चुनौती है। प्रथम दृष्टया घरेलू पृष्ठभू म, नशाखोरी, आजी वका की असुरक्षा , अ शक्षा एवं संकीर्णता आदि प्रमुख कारक प्रतीत होते हैं कन्तु सबसे बड़ा कारण है, सनातन काल से चली आ रही पुरुष की आ धपत्यवादी दृष्टि। जो संस्कार बन कर समाज का सहज व्यवहार बन गई है। सीता का रावण द्वारा हरण हो अथवा राम के द्वारा सीता की अग्नि परीक्षा, द्रौपदी का 'बंटवारा हो या दुनिया को समता का संदेश देने वाले इस्लाम द्वारा औरत को बुर्के में कैद करना , सभी पुरुष आ धपत्यवादके द्योतक हैं।

वशेष रूप से महिलाओं की भू मका की चर्चा करने वाले साहित्य के स्रोत बहुत ही कम हैं ; 1730 ई. के आसपास तंजावुर के एक अ धकारी त्र्यम्बकयज्वन का *स्त्रीधर्मपद्धति* इसका एक महत्वपूर्ण अपवाद है। इस पुस्तक में प्राचीन काल के अपस्तंभ सूत्र (चौथी शताब्दी ई.पू.) के काल के नारी सुलभ आचरण संबंधी नियमों को संक लत कया गया है। इसका मुखड़ा छंद इस प्रकार है:

> *मुख्यो धर्मः स्मृतिषु वहितो भार्तृशुश्रुषानम हि*:
>
> स्त्री का मुख्य कर्तव्य उसके पति की सेवा से जुडा हुआ है।

जहाँ *सुश्रूषा* शब्द (अर्थात, "सुनने की चाह") में ईश्वर के प्रति भक्त की प्रार्थना से लेकर एक दास की निष्ठापूर्ण सेवा तक कई तरह के अर्थ समाहित हैं।

एक टीस से मन में उठती है क आ खर नारी का जीवन कब तक इस तरह की घरेलू हिंसा के खतरों से घिरा रहेगा। पतियों की हिंसा से बच भी जाये तो बलात्कार , छेड़खानी, भ्रूण हत्या और दहेज की धधकती आग में वह कब तक भस्म होती रहेगी ? कब तक उसके अस्तित्व एवं अस्मिता को नोचा जाता रहेगा? कब तक खाप पंचायतें नारी को दोयम दर्जा का मानते हुए तरह-तरह के फरमान जारी करती रहेगी ? भरी राजसभा में द्रौपदी को बाल पकड़कर खींचते हुए अंधे सम्राट धृतराष्ट्र के समक्ष उसकी वद्वत मंडली के सामने निर्वस्त्र करने के प्रयास के संस्करण आ खर कब तक शक्ल बदल-बदल कर नारी चरित्र को धुंधलाते रहेंगे? ऐसी ही अनेक शक्लों में नारी के वजूद को धुंधलाने की घटनाएं- जिनमें नारी का दुरुपयोग, उसके साथ अश्लील हरकतें , उसका शोषण, उसकी इज्जत लूटना और हत्या कर

देना- मानो आम बात हो गई हो। वरोधाभासी सत्य तो ताजा सर्वेक्षण से उजागर हुआ है जिसमें पन्द्रह साल की उम्र से ही महिलाएं अपने पतियों की हिंसा का शकार होती है। महिलाओं पर हो रहे इस तरह के अन्याय , अत्याचारों की एक लंबी सूची रोज बन सकती है। न मालूम कतनी महिलाएं , कब तक ऐसे जुल्मों का शकार होती रहेंगी। कब तक अपनी मजबूरी का फायदा उठाने देती रहेंगी। दिन-प्रतिदिन देश के चेहरे पर लगती यह का लख को कौन पोछेगा? कौन रोकेगा ऐसे लोगों को जो इस तरह के जघन्य अपराध करते हैं , नारी को अपमानित करते हैं।

भारत में पछले कुछ सालों से घर से लेकर सड़क और कार्यस्थल तक महिलाओं के उत्पीड़न एवं हिंसा का मुद्दा राष्ट्रीय वमर्श का हिस्सा बना है। हाल में मीटू आंदोलन ने इसे और ऊंचाई दी है और खासकर कामकाजी दायरे में यौन शोषण के मुद्दे को केंद्र में ला दिया है। ले कन गौर करने की बात है क अभी सारी बहस महिलाओं के सार्वजनिक जीवन को लेकर ही हो रही है। महिलाओं की घरेलू हिंसा के बारे में तो अभी बात शुरू भी नहीं हुई है क घर के भीतर उन्हें कैसी त्रासद एवं हिंसक घटनाओं को झेलना पड़ रहा है। इस वषय पर चर्चा शायद इस लए भी नहीं होती क भारत में घर को एक प वत्र जगह के तौर पर देखा जाता है और इसके भीतरी माहौल को सार्वजनिक चर्चा के दायरे में लाना मर्यादा के खलाफ समझा जाता है। पुरुष प्रधान समाज को उन आदतों-, वृत्तियों, महत्वाकांक्षाओं, वासनाओं एवं क रताओं को अल वदा कहना ही होगा जिनका हाथ पकड़कर वे उस ढ़लान में उतर गये जहां रफ्तार तेज है और ववेक अनियंत्रित हैं जिसका परिणाम है नारी पर हो रही घरेलू हिंसा , नित नये अपराध और अत्याचार। पुरुष-प्रधान समाज के प्रदू षत एवं वकृत हो चुके- तौर-तरीके ही नहीं बदलने हैं बल्कि उन कारणों की जड़ों को भी उखाड़ फेंकना है जिनके कारण से बारबार नारी को जहर के घूंट पीने को ववश होना पड़ता है।-

घरेलू हिंसा एक अपराध है पर बावजूद इसके इससे जुड़े ज्यादातर मामले सामने आ ही नहीं पाते हैं. कई बार घर-परिवार के डर से तो कई बार समाज में इज्जत खोने के डर से लोग इसे जाहिर नहीं होने देते हैं.

आ खर घरेलू हिंसा है क्या? चारदीवारी के भीतर होने वाली हर हिंसा घरेलू हिंसा की श्रेणी में आती है. दो लोगों के बीच जब प्यार , सम्मान और सहानुभूति की भावना समाप्त होकर नफरत और क्रूरता में तब्दील हो जाती है तो वो घरेलू हिंसा बन जाती है.

ये शारीरिक, सेक्सुअल और व्यवहारिक तीनों ही तरह की हो सकती है. ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है क घरेलू हिंसा के क्या-क्या कारण हो सकते. आंकड़ों के आधार पर

देखें तो घर में पद, पैसे और दूसरे भौतिक सुखों के चलते ही ज्यादातर मामले घरेलू हिंसा का रूप ले लेते हैं. कई बार बदले की भावना भी इसे जन्म देने का काम करती है.

घरेलू हिंसा एक अपराध है पर बावजूद इसके इससे जुड़े ज्यादातर मामले सामने आ ही नहीं पाते हैं. कई बार घर-परिवार के डर से तो कई बार समाज में इज्जत खोने के डर से लोग इसे जाहिर नहीं होने देते हैं. ऐसे में पी ड़त प्रता ड़त होता रहता है और पीड़ा देने वाला अपनी बर्बरता करता रहता है.

रिलेशन शप से जुड़े मामलों के वशेषज्ञों की मानें तो बीते कुछ समय में इस तरह के मामलों में काफी तेजी आई है. वशेषज्ञ मानते हैं क पार्टनर्स के बीच आपसी भरोसे और प्यार के खत्म हो जाने से ही चीजें इस मुकाम पर पहुंच जाती हैं.

घरेलू हिंसा के प्रभाव:

घरेलू हिंसा के प्रभावों का जिक्र करने से पहले ये बात समझ लेना बहुत जरूरी है क परिवार समाज की इकाई है और अगर परिवार में कलह है तो इसका सीधा असर समाज पर पड़ेगा.ज्यादातर मामलों में महिलाएं ही घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं ले कन ऐसा नहीं है पुरुष वर्ग इससे अछूता है.

घरेलू हिंसा का शकार हुआ शख्स कभी भी अपने डर से बाहर नहीं आ पाता है अगर कसी शख्स ने अपने जीवन में घरेलू हिंसा झेली है तो उसके लए इस डर से बाहर आ पाना बेहद मुश्किेल होता है. लगातार हिंसा का शकार होने के बाद उसकी सोच में नकारात्मकता इस कदर हावी हो जाती है क उसे अपने को स्थिर करने में सालों लग जाते हैं.

2. मान सक आघात इंसान को भीतर से तोड़कर रख देता है

घरेलू हिंसा का एक सबसे बुरा पहलू ये है क इसका पी ड़त मान सक आघात से बाहर नहीं आ पाता है. ऐसे मामलों में अक्सर देखा गया है क लोग या तो अपना मान सक संतुलन खो बैठते हैं या फर अवसाद का शकार हो जाते हैं.

3. ये एक ऐसा दर्द है जिसकी दवा शायद ही कसी के पास हो ऐसे मामले जिनमें शारीरिक यातना भी शा मल है, पी ड़त को बेइंतहा दर्द सहना पड़ता है. कई मामलों में शारीरिक असमर्थता की भी स्थिति आ जाती है या फर कोई अंग ही काम करना बंद कर देता है. इसके साथ ही कुछ चोटें ऐसी होती हैं जो जानलेवा भी साबित हो जाती हैं.

4. मनोरोग की स्थिति में पहुंच जाता है पी ड़त घरेलू हिंसा का ये सबसे खतरनाक और दुखद पहलू है. जिन लोगों पर हम इतना भरोसा करते हैं और जिनके साथ रहते हैं जब वही अपने इस तरह का दुख देते हैं तो इंसान का रिश्तों पर से भरोसा उठ जाता है और वो खुद को अकेला बना लेता है. वो कहीं न कहीं ये तय कर लेता है क इस दुनिया में उसका कोई नहीं और उसे अपने सहारे ही रहना होगा. कई बार इस स्थिति में लोग आतमहत्या भी कर लेते हैं.

घरेलू हिंसा औरत का कद छोटा कर देती है। जिसे घर में इज्जत नहीं मली , उसे बाहर कौन सम्मान देगा? वह मटती- पटती रहती है कन्तु अत्याचारों का धुआं तक बाहर निकलने नहीं देता है। दरअसल भारत में अब भी महिलाओं के लए शादी को ही एकमात्र वकल्पदेखना जारी है। जब भी कोई समस्या आती है तो उनके पास दो ही वकल्प होते हैं , या तो सहते हुए शादी बरकरार रखें या फर अपनी जान दे दें। महिलाओं को अ धक वकल्प देने की ओर अ धक ध्यान नहीं दिया गया है। यही कारण है तमाम कानून के बावजूद देहरी के अन्दर का बाघ, बकरी का आखेट करता आ रहा है।

जख्मी चेहरा , व्य थत मन , दर्द से कराहती देह , असुर क्षत भ वष्य , टूटते ख्वाब , दरकता सम्बन्ध, अरु चकर जीवन और अवसादित जीवन शैली , फर भी जीवन जीने की मजबूरी। सात दशकों से यही दास्तान है पति और परिवार द्वारा शारीरिक और प्रता ड़त स्त्री की। भारतीय कानून ने इस सारी संवेदनहीनता , वेदना और त्रासदी को समेट कर संक्षेप में 'घरेलू हिंसा' का नाम दिया है। त्रासदी है क हिंसा भी अब घरेलू होने लगी है। आजादी के सात दशक बीत जाने के बाद भी आज स्त्री घर की चारदीवारी में भी सुर क्षत नहीं है , अब घर पति गृह में बदलने लगे हैं। पति गृह बन्दी गृह के समान है , जहां अधीक्षक की भू मका सात जन्मों के जीवन साथी पति ने लेनी शुरू कर दी

संयुक्त राष्ट्र की महिला इकाई के अध्ययन के अनुसार **37** प्रतिशत भारतीय महिलायें घरेलू हिंसा का शकार होती हैं। अपने ही जीवन साथी के द्वारा प्रता ड़त की जाती हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्डस ब्यूरो के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2003 में घरेलू हिंसा सम्बन्धी दर्ज मामलों की संख्या 50,703 थी जो 2013 में बढ़कर **118,866** हो गई, यानी दस सालों में इसमें 134 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। एक गैर सरकारी संस्था के मुताबिक, भारत में लगभग पांच करोड़ महिलाओं को अपने घर में ही हिंसा का सामना करना पड़ता है। इनमें से मात्र 0.1 प्रतिशत ही हिंसा के खलाफ रिपोर्ट लखाने आगे आती हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण भारत सरकार के आंकड़ें इस सम्बन्ध में बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश करते हैं। ये

रिपोर्ट बताती है क भारत में अ श क्षत महिलाओं की तुलना में पढ़ी- लखी महिलाएं घरेलू हिंसा की शकार ज्यादा होती हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, ज्यादा पढ़ी- लखी महिलाओं को अपने पति से घरेलू हिंसा का खतरा कम पढ़ी- लखी की तुलना में **1.54** गुना ज़्यादा होता है। इसके अलावा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट ये भी बताती है क भारत में करीब **37** प्रतिशत महिलाएं अपने पतियों की वजह से घरेलू हिंसा की शकार होती हैं।

युग बदलता रहा, करदार बदलते रहे ले कन स्त्री की स्थिति यथावत रही। जब भी कोई युद्ध हुआ स्त्री और बच्चियां भी साजो समान के साथ लूटी गयी। औरत की जांघों के ऊपर से दुश्मन फौज फ्लैग मार्च करती हुयी निकल जाती है। स्त्री 'वसुन्धरा' है। पुरुष 'वीर है। अतः स्त्री भोग की वस्तु है , पुरुष द्वारा भोगा जाना ही उसकी नियति है। अतः यह बाजारों में बिकती है, चौराहों पर नचवायी जाती है। ये 'बेइज्जत चीज बड़ी आसानी से इज्जतदारों में बांट दी जाती है। शनैः शनैः यह प्रवृत्ति समाज के संस्कार में शा मल हो गयी है। घर जिसे दाम्पत्य जीवन में मन्दिर का स्थान प्राप्त है , उसमें स्त्री अपने 'आराध्य पति परमेश्वर ' के द्वारा हिंसा की शकार हो रही है। शराबी पुरुष द्वारा इस प्रकार की घटनाये बहुतायत संख्या में प्रकाश में आ रही है। घरेलू हिंसा नारी उत्पीडऩ का घोर पाश्विक रूप है। बाघ और बकरी सी स्थिति है।

निर्धन परिवार की कमला कई घरों में झाड़ू-पोछा कर अपने परिवार का भरण-पोषण करती है। घर पहुंचने पर बच्चे खाना और पति शराब के लये पैसे मांगता है , पैसा देने या आनाकानी करने पर कमला का पीटा जाना नियम सा बन गया है और कमला ने भी स्वयं के साथ हो रही हिंसा को अपना भाग्य मान लया है।

कमोवेश निम्न वर्गीय समाज मे घरेलू हिंसा की यही स्थिति है , कमला और उसका पति उस समाज के प्रतिनि ध करदार हैं और वडम्बना यह है क यह करदा पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी प्रासं गकताबरकार रखे है। मध्य वर्गीय समाज की भी महिलाओं के प्रति हिंसा लगातार बढ़ रही है। पहले तो स्त्री को प्रतिष्ठता व सम्मान के नाम की दुहाई देकर आ र्थक रुप से पंगु बना दिया, स्त्री का महोताज बन जाने के बाद, स्त्री और पुरुष के मध्य दाता और याचक की स्थिति बन गयी। समाज में दाता की स्थिति याचक से अ धक सुदृण होती है। अतः पुरुष सदैव मनोवैज्ञानिक लाभ की स्थिति में होता है। अपनी 'आ श्रता से आश्रयदाता' की अपेक्षायें भी भन्न प्रकार की होने लगती हैं। यह ' भन्नात्मक अपेक्षाओं की पूर्ति में बाधा', उसके अहम् को झंकृत कर देती हैं। मन में बैठा 'पशु जिसे अब 'पौरुष के पर्याय के रूप में स्वीकार कर लया गया है , जागृत होकर , 'अर्धां गनी, भार्या, धर्मपत्नी की भाव धारा को क्रूर प्रहारों से

लहूलुहान कर देता है। शरीर से अ धक मन पर असर करते हैं ऐसे प्रहार। इस प्रकार की 'घरेलू हिंसा से ग्र सत होने पर स्त्री स्वयं को निरा श्रत महसूस करती है। अन्तर्मन की वेदना आंसुओं के स्वरूप में ढलकर सस कयों की गुहार के साथ बह निकलती हैं। मानो वधाता से कह रही हो क स्त्री के साथ यह भेदभाव क्यों?

इस घरेलू हिंसा में अपशब्द , मार-पीट और भावनात्मक प्रताड़ना के साथ-साथ यौन हिंसा का कृत्य भी समावे शत है। संयुक्त राष्ट्र की रपट के अनुसार भारत के संस्कृतिनिष्ठ समाज में 48 फीसदी स्त्रियों को अपने ही जीवन साथी द्वारा यौन हिंसा का शकार होना पड़ता है। गृहस्थ जीवन की स्थापना में अनेक उद्देश्यों के साथ-साथ उन्मुक्त यौनाचार के स्थान पर 'संस्थागत समागम के अपेक्षा की गयी है कन्तु नशे की हालत में अथवा उन्मत्ता की स्थिति में पुरुष द्वारा स्त्री (पत्नी) के प्रति इस प्रकार का कुत्सित कृत्य, स्त्री द्वारा स्वयं को 'खूंटे से बंधी गाय , मानने पर ववश करती है। यह हिंसा यही वराम नहीं लेती है। दान-दहेज समेत अन्य कारणों से ससुराल पक्ष की महिलाओं द्वारा स्त्रियां प्राय: अपमानित की जाती हैं, उनके द्वारा कये गये मौ खक तथा शारीरिक घात-प्रतिघातों की खबरों से दैनिक समाचार पत्र भरे रहते हैं , स्त्री द्वारा स्त्री को ही भौतिक आग्रहों अथवा द्वेषवश लांछित एवं प्रता ड़त करना ससुराल पक्ष की उच्चता के पारम्परिक दुराग्रहों को प्रतिबिम्बित करता है।

दीगर है क यह पारम्परिक दुराग्रह सदियों से स्त्री समाज को पीढ़ी दर पीढ़ी , वरासत के रुप में हस्तान्तरित होते आये हैं। आश्चर्य है इन पीड़ादायक और अपमानजनक पारम्परिक दुराग्रहों को नारी समाज ने बड़ जतन से संजोकर रखा है अर्थात स्त्री जब बहू बनकर आयी, तो उसने सभी प्रकार दर्द , पीड़ा और अपमान को अपना भाग्य मानकर सहा क्यों क उसने बाल्यकाल में ही अपनी मां को भी सहते हुये देखा था। वक्त गुजरने के साथ-साथ मां-बहू के साथ ही जेठानी बनी। मां का 'परिवीक्षा काल' समाप्त हुआ। पदोन्नति प्राप्त हुयी अब तक सही गयी, सही गयी समस्त प्रकार की पीड़ा अतीत की कटु स्मृतियां बन गयी। अब नई बहू का 'परिवीक्षा काल ' प्रारम्भ होगा। इस श्रृंखलाबद्ध अटूट अ धनायकवादी वचारधारा ने स्त्री जाति की सम्वेदनशीलता को तिरोहित कर दिया है। 'स्व के पूर्वाग्रह ने 'वयं के आग्रह को ठुकरा दिया है। इस पारम्परिक 'स्व के पूर्वाग्रह' का जब तक 'वयं का आग्रह हस्तान्तिरत नहीं करेगा, तब तक स्त्री घरेलू हिंसा में साझीदार बनती रहेगी।

ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग के अनिल वर्मा तथा अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र से जुड़े भारतीय वदेश सेवाके अ धकारी के घरेलू हिंसक मामले , ने राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों में खासी सु र्खयां बटोरी थीं। यह तथ्य दिखाते हैं क तमाम सामाजिक सुधारों , आ र्थक, शै क्षक तरक्की तथा हिंसा निरोधक कानूनों के बावजूद घरेलू हिंसा हमारे श क्षत समाज के हर स्तर पर मौजूद है और उसे राज्य-समाज से सामाजिक स्वीकृति भी हा सल होती रहती है। प्रता ड़त

करने वाले पुरुषों से हमारा समाज गांधी, गौतम सरीखी करुणा और सम्वेदनशीलता की उम्मीद नहीं करता है कन्तु हिंसा शकार स्त्री से यह अपेक्षा की जाती है क घर की इज्जत बचाने के लये, गम खाकर घर की बात घर में रखे। ऐसे मनोवैज्ञानिक दबावों के कारण घरेलू हिंसा कानून-**2005** समाज में घरेलू हिंसा के वरुद्ध पूर्णतय: दबाव नहीं बना पाने में असफल रहा है। 70 फीसदी घरेलू हिंसा के मामले घर की आबरू की दुहाई के कारण कानून की दहलीज तक नहीं पहुंच पाते हैं। ले कन इस कानून ने स्त्री को हिंसा के वरोध हेतु शक्ति प्रदान की है , साथ ही पी.डक पक्ष पर मान सक दबावभी कायम कया है। अभी इस कानून के सम्बन्ध में और अ धक जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग के घरेलू हिंसा सम्बन्धी ऑकड़ों पर दृष्टिपात करें, तो उत्तर प्रदेश घरेलू हिंसा में अव्वल है। कुल दो हजार नौ सौ तिरान्वे दर्ज मामलों में एक हजार सात सौ सरसठ मामले उत्तर प्रदेश से हैं। दिल्ली ने दूसरा तथा राजस्थान ने तीसरा स्थान प्राप्त कर अपने-अपने राज्य का 'पौरुष प्रदर्शन कया है। घर में घरेलू हिंसा के चलते बच्चों पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। बच्चों में हिंसा से डर पैदा होता है। कई बार यह डर उन्हें आक्रामक बना देता है। बच्चे और बच्चियां हिंसा को सामान्य व्यवहा र मानने लगते हैं। लड़ कयां डप्रेशन, तनाव और नाउम्मीदी की शकार हो जाती हैं। सामाजिक संगठनों, मी डया, शक्षा केन्द्रों के प्रयासों से अब जागरूकता के प्रतिशत में बढ़ोत्तरी परिल क्षत हो रही है। इस तथ्य से इन्कार नहीं कया जा सकता है क आ र्थक मोर्चे पर औरत की गैर बराबरी की स्थिति उसे हर प्रकार से कमजोर करती है। सामाजिक प्रताड़ना से लड़ने की शक्ति तो घरेलू हिंसा कानून ने स्त्रियों को प्रदान कर दी है साथ ही जागरूकता के चलते अब स्त्री और पुरुष के सम्बन्धों में बराबरी और चयन की आजादी के बुनियादी सवाल उठने लगे हैं।

महिलाओं में एक सम र्पत गृहणी और खामोश धरोहर के पाम्परिक रुढ़िवादी खांचे से बाहर निकलने की जद्दोजहद दिखने लगी है। वह अपने प्रति हिंसा के पश्चात घर व परिवार की आबरु के नाम पर भावनात्मक मूर्ख बनने की जगह आत्म सजग महिला की भांति प्रत्येक स्तर पर प्रतिवाद करती है। मानवा धकारों का हवाला देते हुये प्राथ मकी दर्ज कराती है , तो समाज की रुढियों के ठेकेदार को दाम्पत्य का सही मर्म समझने की सीख भी देती हैं। यह सत्य है क घरेलू हिंसा से मुक्ति की राह में स्त्री समाज ने अभी चलना ही शुरु कया है कन्तु हर बड़ी वजय एक छोटे स्वप्न और लडख़ड़ाते प्रयासों का वस्तार होती हैं , अत: स्त्री समानता और सशक्तिकरण का स्वप्न एक दिन जरूर यर्थाथ बनेगा। फलहाल अभी तो बाघ , बकरी का शकार कर रहा है।

घरेलू हिंसा के वरूद्ध कानून देता है ये अ धकार

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक साल 2013 में घरेलू हिंसा के 118866 मामले दर्ज कए गए हैं. साल 2012 के मुकाबले 2013 में इन घटनाओं में 11.6 प्रतिशत की वृ द्ध हुई है. भारत में अ धकतर महिलाएं कसी न कसी रूप में घरेलू हिंसा झेलती हैं , जो कई बार हत्या में भी तब्दील हो जाती है. इन घटनाओं के बढ़ने का एक बड़ा कराण है महिलाओं को घरेलू हिंसा के वरूद्ध कानून की जानकारी न होना. कई बार तो महिलाएं जानती ही नहीं की उनके साथ हो रहा दुर्व्यवहार घरेलू हिंसा के दायरे में आता है. अपने अ धकारों की जानकारी के अभाव में वो इन ज्यादतियों को सहन करती जाती हैं. इस बार हम घरेलू हिंसा के वरुद्ध बने कानून महिला सरंक्षण अ धनियम 2005 की वस्तृत जानकारी दे रहे हैं:

कोई व्यक्ति अगर कसी महिला के स्वास्थ्य , सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है , उसे क्षतिग्रस्त करता है या खतरा उत्पन्न करता है या फर ऐसा करने की को शश करता है , तो उसे घरेलू हिंसा की श्रेणी में रखा जाएगा. इसके अंतर्गत शारीरिक दुरुपयोग , लैं गक दुरूपयोग, मौ खक व भावनात्मक दुरुपयोग और आ र्थक दुरुपयोग शा मल हैं. दहेज या अन्य मूल्यवान वस्तुओं या गैरकानूनी मांग की पूर्ति के लए महिला को या उससे संबं धत व्यक्ति को परेशान करने के मकसद से महिला को उत्पी डत करता है, क्षति पहुंचाता है या खतरा उत्पन्न करता है , तो भी उसे घरेलू हिंसा की श्रेणी में रखा जाएगा.

शारीरिक दुरुपयोग

शारीरिक दुरुपयोग का मतलब है क कोई भी कार्य या आचरण जो क महिला के जीवन अंग या स्वास्थ्य के लए खतरा पैदा करता है. जैसे मारपीट करना , धकेलना, ठोकर मारना, लात मारना, मुक्का मारना, कसी अन्य प्रकार से शारीरिक पीड़ा या क्षति पहुंचाना.

लैं गक (यौन) दुरुपयोग

लैं गक प्रकृति का कोई भी व्यवहार जो महिला की गरिमा का दुरुपयोग करता है , अपमानित करता है, तिरस्कृत करता है या उसको भंग करता है. जैसे बलात्कार करना , अश्लील साहित्य या अश्लील तस्वीरों को देखने के लए ववश करना , महिला के साथ दुर्व्यवहार करना , महिला की पारिवारिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को आहत करना.

मौ खक और भावनात्मक दुरुपयोग

अपमान, मजाक उड़ाना, तिरस्कार करना, गाली देना और संतान वशेषकर लड़का नहीं होने पर अपमानित करना और हंसी उड़ाना , महिला को शारीरिक कष्ट पहुंचाना या उससे संबं धत कसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की धम कयां देना.

आ थक दुरुपयोग

कोई भी या सभी आ थक या वत्तीय स्रोत जिसकी महिला व ध या प्रथा के तहत हकदार है. कसी महिला और उसकी संतानों को घर से वं चत करना. इसमें स्त्रीधन ,संयुक्त संपत्ति, साझी गृहस्थी के इस्तेमाल से अलग करना शा मल है.

घरेलू हिंसा की सूचना

– पी.डत महिला के अलावा कोई भी पड़ोसी , परिवार का सदस्य या संस्थाएं महिला की सहमति से अपने क्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में शकायत दर्ज कराकर बचावकारी आदेश हा सल कर सकता/ सकती हैं.

– सूचना देने वाले व्यक्ति का कानून में कोई दायित्व नहीं है.

– घरेलू घटना रपट (डोमेस्टिक इं सडेंट रिपोर्ट) एक दफ्तरी प्रारूप है जिसमें घरेलू हिंसा की रिपोर्ट दर्ज करायी जाती है.

पु लस अ धकारी संरक्षण अ धकारी और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य

– व्य थत महिला के लए बचावकारी आदेश , काउंस लंग, क्षतिपूर्ति, भरण-पोषण, बच्चों का संरक्षण और जरूरत पड़े तो रहने की जगह भी दी जाती है. अगर पी.डत की रिपोर्ट से जज को ऐसा लगे क पी.डत को हिंसा करने वाले से आगे भी खतरा हो सकता है तो जज हिंसा करने वाले को घर से बाहर रहने के आदेश दे सकते हैं.

– इस कानून के अंतर्गत नियुक्त प्रोटेक्शन ऑ फसर (संरक्षण अ धकारी) की जिम्मेदारी है क पी.डत महिला को आवेदन लखने में मदद करे , आवेदन जज तक पहुंचाए एवं कोर्ट से राहत दिलाए.

– व्य थत महिला को संरक्षण अ धकारी की सेवाओं की उपलब्धता के बारे में सूचना देना .

– व धक सेवा प्रा धकरण अ धनियम 1987 के अधीन निशुल्क व धक सेवाओं की उपलब्धता के बारे में सूचना देना .

– भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के अधीन शकायत दा खल करने के अ धकार के बारे में सूचना देना.

संरक्षण अ धकारी के कर्तव्य

महिला संरक्षण अ धनियम की धारा 9 के अंतर्गत संरक्षण अ धकारियों के कर्तव्य:

– मजिस्ट्रेट को घरेलू हिंसा की रिपोर्ट करना. अगर व्य थत महिला चाहती है तो मजिस्ट्रेट को संरक्षण आदेश देने के लए प्रार्थना करना,

– यह सुनिश्चित करना क व्य थत महिला को व धक सेवा प्रा धकरण अ धनियम के अधीन कानूनी सहायता दी गयी है .

– यदि महिला चाहती है तो उसे सुर क्षत गृह उपलब्ध कराना. अगर चोट लगी है तो व्य थत महिला की च कत्सकीय जांच कराना .

– यह सुनिश्चित करना क धारा 20 के अधीन धन देने के आदेश का अनुपालन और निष्पादन भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कया गया है .

संरक्षण अ धकारी पर कार्यवाही

– कर्तव्यों का पालन न करने पर संरक्षण अ धकारी को एक वर्ष तक का कारावास या 20000 तक जुर्माना या दोनों दंड दिया जा सकता है.

सेवा प्रदाता

कोई स्वैच्छिक संघ या कंपनी जो क सोसायटी पंजीकरण अ धनियम 1860 के अधीन पंजीकृत है, सेवा प्रदाता है.

सेवा प्रदाता की शक्तियां

घरेलू घटना की रिपोर्ट को दर्ज करना. व्य थत महिला की डॉक्टरी जांच कराना तथा यह सुनिश्चित करना क व्य थत महिला को घर में रहने को जगह मल जाए, अगर महिला ऐसी अपेक्षा करती है .

केंद्र और राज्य सरकार के उपाय

अ धनियम की धारा 11 केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा निम्न ल खत कार्यों को सुनिश्चित कये जाने का जिक्र करती है:

– महिला संरक्षण अ धनियम के उपबंधों का निय मत रूप से टेली वजन , रे डयो और प्रंट मी डया के माध्मय से व्यापक प्रचार कया जाता है

– पु लस अ धकारियों और न्यायिक सेवा के सदस्यों को शा मल करके सरकारी अ धकारियों को अ धनियम द्वारा व र्णत मुद्दों पर संवेदीकरण और जानकारी प्र शक्षण दिया जाता है.

– गृह मामलों, व ध और व्यवस्था , स्वास्थ्य और मानव संसाधन से संबं धत मंत्रालयों और वभागों के बीच घरेलू हिंसा के ववादों पर उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में तालमेल कया गया है.

सहायता के आदेशों की प्राप्ति

– कोई व्य थत महिला या संरक्षण अ धकारी या व्य थत महिला की ओर से कोई व्यक्ति इस अ धनियम के अंतर्गत एक या अ धक सहायता प्राप्त करने के लए मजिस्ट्रेट को आवेदन पेश कर सकता है. इसके अंतर्गत क्षतिपूर्ति मुआवजा भी शा मल है .

– मजिस्ट्रेट, सुनवाई की पहली तारीख नियत करेगा जो न्यायालय द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से सामान्यता तीन दिन से अ धक नहीं होगी.

– मजिस्ट्रेट, सुनवाई की पहली तारीख से साठ दिन की अव ध के भीतर प्रत्यके आवेदन का निपटारा करने का प्रयास करेगा.

– सहायता के लए कए गए आवेदन की सुनवाई की तारीख संबंधी सूचना मजिस्ट्रेट द्वारा संरक्षण अ धकारी को दी जायेगी , जो प्रतिवादी या मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दे शत कसी अन्य व्यक्ति से दो दिन के अंदर तामील कराएगा.

– अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगे क दोनों पक्ष बंद कमरे में कार्यवाही की सुनवाई चाहते हैं, तो इस अ धनियम के तहत कार्यवाही की सुनवाई बंद कमरे में हो सकती है .

– अ धनियम की धारा 17– के मुताबिक कसी अन्य व ध में कसी वरोधी प्रावधान के होते हुए भी घरेलू संबंध में प्रत्येक महिला को साझी गृहस्थी से कानूनी तरीके से ही बेदखल या निकाला जा सकता है .

– धारा 19– के मुताबिक मजिस्ट्रेट यह संतुष्ट होने पर क घरेलू हिंसा की गयी है , प्रतिवादी द्वारा महिला को साझी गृहस्थी से बेदखल करने या उसके कब्जे में व्यवधान करने से रोक सकता है .

– मजिस्ट्रेट साझी गृहस्थी, जिसमें महिला निवास करती है या उसके कसी भाग में प्रतिवादी या उसके कसी नातेदार को प्रवेश करने से रोक सकता है .

– मजिस्ट्रेट साझे घर को कसी को सौंपने या उसको बेचने या उसको ऋणग्रस्त करने से प्रतिवादी को रोक सकता है .

– प्रतिवादी को आदेश दिया जा सकता है क व्य थत महिला को उसी स्तर का , जैसा साझी गृहस्थी में उसके द्वारा उपयोग कया जाता रहा है , वैकल्पिक आवास सुनिश्चित करे या उसके लए कराये का भुगतान करे.

– न्यायालय, संबं धत थाने के इंचार्ज अ धकारी को व्य थत महिला को संरक्षण प्रदान करने या आवास आदेश को लागू करने में सहायता करने के निर्देश जारी कर सकते हैं .

– मजिस्ट्रेट, व्य थत महिला और उसकी संतान को घरेलू हिंसा के परिणाम स्वरूप हुए नुकसान और खर्चों को देने के लए प्रतिवादी को आदेश जारी कर सकते हैं. इसमें कमाई का नुकसान, च कत्सकीय व्यय संपत्ति को हटाने या नष्ट करने में हुई हानियां शा मल हैं.

– मजिस्ट्रेट, धन की राहत का भुगतान करने के लए प्रतिवादी की असफलता पर मजिस्ट्रेट प्रतिवादी को काम देने वाले मा लक या कर्जदार को सीधे व्य थत महिला को भुगतान करने के निर्देश जारी कर सकते हैं.

– मजिस्ट्रेट, आवेदन की सुनवाई में व्य थत महिला को या उसकी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति को बच्चे की अस्थायी हिफाजत प्रदान कर सकेगा और प्रतिवादी द्वारा ऐसे शशु से मलने के लए वशेष व्यवस्था भी करेगा.

– प्रतिवादी द्वारा संरक्षण आदेश या संरक्षण आदेश के कसी अंतरिम आदेश को न मानना एक अपराध होगा , जिसकी सजा एक वर्ष हो सकती है या फर जुर्माना जो क 20000 तक बढ़ाया जा सकता है या फर दोनों हो सकते हैं .

– संरक्षण आदेश का उल्लंघन संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है. न्यायालय व्य थत महिला की एकमात्र गवाही पर यह निष्कर्ष निकाल सकती है क अपराध हुआ है.

केस दर्ज करने के स्थान

- जहां व्य थत महिला स्थायी रुप से या अस्थायी रुप से निवास करती है या नियोजित है.
- जहां प्रत्यर्थी निवास करता है या कारोबार करता है या नियोजित है.
- जहां कार्रवाई का कारण पैदा हुआ है.

महिला संरक्षण अ धनियम के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के आदेश के खलाफ सत्र न्यायालय में व्य थत महिला या प्रत्यर्थी पर आदेश की तामील के 30 दिनों के अंदर अपील की जा सकती है.

पी.डता कससे संपर्क करे

पी.डत महिला घरेलू हिंसा से संबं धत अ धकारी जैसे उपनिदेशक , महिला एवं बाल वकास मंत्रालय, बाल वकास परियोजना अ धकारी आदि से शकायत दर्ज करा सकती है. कसी भी सरकारी या गैर सरकारी संगठन से संपर्क कया जा सकता है जो महिलाओं और बच्चों के लए काम करती हो. पु लस स्टेशन से संपर्क कर सकती है. कसी भी सहयोगी के माध्यम से अथवा स्वयं जिला न्यायालय में प्रार्थना पत्र डाल सकती है.

ऐसे में ये बेहद जरूरी है क न तो घरेलू हिंसा को बढ़ावा दें और न ही उसके शकार बनें. कसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा, हिंसा ही है और उसके खलाफ आवाज उठाना जरूरी है.